(58)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकः............../2016 कन्टैम्प्ट (विविध) विविध-1064-II/16

श्री .... द्वारा आज दि. 1-9-016 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती लता पत्नि टाईटस चौहान
2. टाइटस चौहान पुत्र स्व. फ्रांसिस टाईटस,

निवासीगण सिद्धेश्वर मेला ग्राउण्ड, छत्री रोड़, शिवपुरी (म.प्र.)

..........**निगरानीकर्तागण/आवेदकगण**

बनाम

1. श्री नवनीत शर्मा,

तहसीलदार तहसील शिवपुरी, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

2. श्रीमती नीलम पड़सेरिया (मौर्य)

नायब तहसीलदार, तहसील शिवपुरी

.............**कन्टैम्नर्स/अनावेदकगण**

अवमानना याचिका अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम

माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांकः निगरानी 1907–दो/2016 (श्रीमती लता एवं अन्य बनाम् कोषाध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर हरिहर प्रेम मन्दिर एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 21/06/2016 की जानबूझकर अवज्ञा / अवहेलना की जाने के सम्बन्ध में अवमानना याचिका।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण की ओर से अवमानना याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी अन्तर्गत धारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 9064–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–02–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर किया। 2/ आवेदक द्वारा यह अवमानना याचिका अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के निगरानी प0कं0 1907–दो/2016 में पारित आदेा दिनांक 21–6–2016 की अवहेलना की जाने से प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अनावेदक तहसीदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई हो। जहां तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत आवेदन एवं अखबार की कंटिग की छायाप्रति का प्रश्न है उक्त छायाप्रतियों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस न्यायालय के स्टे आर्डर को दिखाने के पश्चात अनावेदकगण द्वारा भवन को तोडने की कार्यवाही को बंद कर वापस चले गये। आवेदक के अनावेदकगण को मौके पर इस न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति दिखाने के पश्चात वापस चले जाने की पुष्टि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी प्रकट होती है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक अभिभाषक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे कि अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 21–6–2016 की अवहेलना की गई है। अतः यह विविध आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	